



राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

(अम्बेडकर भवन जी-३/१, राजमहल पैलेस के पीछे, जयपुर-३०२००५)

जयपुर, दिनांक:- ३/१२/२०२१

क्रमांक : एफ.1(3)()295 / स्था / सान्याअवि / 21 / ७११२५

कार्यालय आदेश

संख्या-५ पर अधीलिखित शात पर कायमार सम्मान का राय र राष्ट्रपति							Allotted office & District
SN	Candidate Name	Father Name	HOME DISTT.	DOB	GENDER	Category	
1	SANDEEP SINGH NARUKA	MAHENDRA SINGH NARUKA	ALWAR	05-08-1997	Male	GEN	कार्यालय अधीक्षव, राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह भरतपुर कार्यालय ब्लॉक सानाजिक सुरक्षा अधिकारी जवाज, अजमेर
2	HARPHOOL JAT	SURAJ MAL JAT	JAIPUR	05-08-1989	Male	OBC	कार्यालय ब्लॉक सानाजिक सुरक्षा अधिकारी जवाज, अजमेर
3	DATAR SINGH DEEWRATA	PHOOLA RAM GURJAR	SIKAR	03-05-1993	Male	MBC	कार्यालय ब्लॉक सानाजिक सुरक्षा अधिकारी, खीवाजर नागौर

उक्त नियमित्यां निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही है-

- उक्त नियुक्तिया गणालालता राज्य संसद के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। परसा पार-वर्षा
1. उपरोक्त अध्यर्थियों को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। परसा पार-वर्षा
15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार सम्भालने में असमर्थ हो तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्ता को
सूचित कर देवें कि वे कब तक कार्यभार सम्भालेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं सम्भालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की
स्थिति में नियुक्त आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
2. अध्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी
होगी।
3. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ11/एसटी एससी ओबीसी/जा.प्र.प.
/सान्याअवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606-726 दिनांक 20.10.2015 एवं प011(214)आरएण्डपी/
डीडीबीसी/सान्याअवि/2011/68999-69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा निर्देशों/सत्यापन के अध्यधीन पूर्णतया
अस्थाई रूप से रहेगी।
4. परिवीक्षा काल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
5. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ राहायक के पद पर
पे—मेट्रिक्स लेवल संख्या—5 में नियमानुसार वेतन एवं उस पर अन्य भत्ते देय होंगे।
6. उपरोक्त अध्यर्थियों की वरिष्ठता क्रीड़ा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति नियम 2017 (संशोधित नियम 2020) के नियम 3 (10)
के अनुसार रहेगी।
7. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुरूप देय होंगे।
8. यदि अध्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें
बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
9. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ 13(1) एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 28.01.04 एवं 27.03.2004 के तहत अशादायी पैशान
योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवालाभ देय होंगे।
10. जो अध्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन
पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश,
अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत—भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
11. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय—समय पर जारी किये
गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।
12. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 15.05.2018 की अनुपालना में संबंधित अध्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत एटेस्टेशन फार्म एवं स्व—घोषणा
के आधार पर यह अस्थाई नियुक्ति दी जा रही है। पुलिस विभाग द्वारा प्रेषित चिरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये
जाने पर चयनित अध्यर्थी की अध्यर्थिता निरस्त करते हुये उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।
13. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्तनियम विभाग की अधिसूचना संख्या एफ12(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006,
6(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, 13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक
13.03.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2008 दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत निया पारिश्रमिक(Fixed
Remuneration) के हकदार होंगे इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा—मकान किराया भत्ता, महगाई भत्ता, शहरी उत्पार्ति भत्ता, विशेष



- वेतन आदि देय नहीं होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरुद्ध माननीय रर्वोच्च न्यायालय में की गयी एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
14. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गयी है। अंकित की गयी जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
15. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
16. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
17. उक्त अभ्यर्थियों ने पूर्व में स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट एवं पुलिस विभाग से प्राप्त चरित्र एवं पूर्व-वृत्त सत्यापन प्रस्तुत नहीं करने पर नियुक्ति के पन्द्रह दिवस में अभ्यर्थी अपने जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, से स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट एवं पुलिस अधीक्षक, से चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन पत्र प्राप्त कर संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे। जिसकी प्रति कार्यालय ध्यक्ष निदेशालय में भी भिजवायेंगे।
18. उपरोक्त अभ्यर्थी संबंधित जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/जिला बाल संरक्षण ईकाई को भ्रमणी कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिन्हें अपने अधीन कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु भिजवायेंगे।
- उक्त अभ्यर्थी अपने मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु लेकर अपनी कार्य ग्रहण हेतु उपस्थिति के समय उनके नाम के सामने अंकित पदस्थापन के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

3

(ओ.पी. बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ.1(3)()295/स्था/सान्याअवि/21/ ७११२५-७११७५ जयपुर, दिनांक:- ७/१२/२०२१

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-३) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक,(सतर्कता एवं प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. उप निदेशक /सहायक निदेशक/ जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी/ सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,..... को भेजकर लेख है कि अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों की जाँच कर कार्यभार ग्रहण करायें एवं इनकी कार्यालय ग्रहण करने की रिपोर्ट निदेशालय को भिजवायें।
9. कोषाधिकारी कोष कार्यालय,
10. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को विभागीय बेबसाईड पर अपलोड करने एवं समस्त जिला अधिकारियों को ई-मेल करने हेतु।
11. प्रभारी, डी.पी.सी./ ए.सी.आर. प्रशास्त्रा, मुख्यावास।
12. उक्त समस्त अभ्यर्थियों को भेजकर लेख है, कि आप द्वारा दी गई सूचनायें यदि गलत पाई जाती है, तो नियुक्ति तत्पाल समाप्त कर दी जावेगी।
13. श्री/ श्रीमती/ सुश्री..... |
14. व्यक्तिगत पत्रावली श्री |
15. कार्यालय आदेश पत्रावली।

४
(उम्मद सिंह)

अति. निदेशक (सत. एवं प्रशा.)